

बिहार सरकार
अनुजाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग
सं०-४/नि०-सी०एस०एस०-६१-२३/२००७-

(के०प्रा०यो० (१००%))

82

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 13.02.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सभी जिलों के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹4081.00 लाख (चारसौ करोड़ एकासी लाख रुपए) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत

2- कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना बजट मद में मांग संख्या-44 के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0218-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3401-छात्रवृत्ति/यजीफा-विपत्र कोड P2225012770218 पी० एफ० एम० एस० कोड-9185 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं०-4061 दिनांक-16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विगत वर्षों में राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए नवीकृत छात्रवृत्ति (Renewal Stipend) पर व्यय किया जाएगा। परन्तु अलग-अलग वर्ष के लिए व्यय का लेखा अलग-अलग संधारित किया जायेगा।

4- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-14011/25/2015-SCD-V दिनांक-16-05-16 एवं पत्रांक-14011/25/2015-SCD-V दिनांक-12-07-16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विमुक्त राशि से यह राशि स्वीकृत की जा रही है।

5- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं ध्यान पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।


6- राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

7- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

8- इस राशि की स्वीकृति में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० सं०-४/नि०-सी०एस०एस०-६१-२३/२००७- के पृ०-175/टि० पर प्राप्त है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

-2-

ज्ञापांक-4/नि0-सी0एस0एस0-61-23/2007- 87 पटना, दिनांक- 13.02.17
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक,
कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4- संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान
आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0
जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उपनिदेशक (मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा
पदा0-5डी0, अनु0जाति एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0
जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/नि0-सी0एस0एस0-61-23/2007- 87 पटना, दिनांक- 13.02.17
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/नि0-सी0एस0एस0-61-23/2007- 87 पटना, दिनांक- 13.02.17
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को
सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.17
सरकार के सचिव।